

(1)

कार्यालय:-सुनीता रावत, प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला
सीधी, (म.प्र.)
// विविध आदेश //

कमांक. 678 / 2025

सीधी, दिनांक-28.08.2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12 एवं 13 तथा म.प्र. आपराधिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन माह-सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर-2025 के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिए रिमाण्ड ड्यूटी संपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

जिला-मुख्यालय सीधी

अवकाश की तिथियां

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-सितम्बर 2025	माह-अक्टूबर 2025	माह-नवम्बर 2025	अन्य अवकाश या आकस्मिकता उत्पन्न होने की दशा में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।
1	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	21	18 एवं 19	5	—
2	सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	—	20, 21, 22 एवं 23	15 एवं 16	नवम्बर
3	श्री कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	14 एवं 30	26	23 एवं 30	अक्टूबर
4	श्री मृदुल लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	7 एवं 20	4, 5 एवं 12	9	सितम्बर
5	श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	5, 6 एवं 28	1, 2 एवं 3	1 एवं 2	—

(2)

तहसील-मुख्यालय चुरहट

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-सितम्बर 2025	माह-अक्टूबर 2025	माह-नवम्बर 2025	अन्य अवकाश या आकस्मिकता उत्पन्न होने की दशा में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जायेगी।
1	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	20 एवं 21	12 एवं 26	1, 2, 5 एवं 30	सितम्बर
2	सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	5, 6, 7 एवं 30	1, 2, 3, 4 एवं 5	23	नवम्बर
4	श्री राहुल त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	14 एवं 28	18, 19, 20, 21, 22 एवं 23	9, 15 एवं 16	अक्टूबर

तहसील-मुख्यालय रामपुर नैकिन

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-सितम्बर 2025	माह-अक्टूबर 2025	माह-नवम्बर 2025	अन्य अवकाश या आकस्मिकता उत्पन्न होने की दशा में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जायेगी।
1	श्री परमानन्द सनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	14, 20 एवं 21	12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 26	1, 2, 5 एवं 9	सितम्बर

(3)

2	श्री अरहम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	5, 6, 7, 28 एवं 30	1, 2, 3, 4 एवं 5	15, 16, 23 एवं 30	अक्टूबर एवं नवम्बर
---	--	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------------

तहसील-मुख्यालय मझौली

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-सितम्बर 2025	माह-अक्टू बर 2025	माह-नवम्बर 2025	अन्य अवकाश या आकस्मिकता उत्पन्न होने की दशा में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जायेगी।
1	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	20, 21, 28 एवं 30	1, 2, 3, 4, 5 एवं 12	1, 2, 5, 23 एवं 30	सितम्बर
2	सुश्री रुचि परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	5, 6, 7 एवं 14	18, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 26	9, 15 एवं 16	अक्टूबर एवं नवम्बर

1. जिला मुख्यालय में पदस्थ सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, को रिमाण्ड ड्यूटी बैठक के दौरान फोन किये जाने पर उनके द्वारा फोन नहीं उठाने पर सभी न्यायिक अधिकारीगण की सुविधानुसार सुश्री सरिता चौधरी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

2. जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारी श्री सोनू जैन, श्री अभिषेक साहू एवं श्री मृदुल लटौरिया की सहमति होने के उपरांत माह-अक्टूबर 2025 में पड़ने वाले दशहरा एवं दीपावली के सार्वजनिक अवकाश के दौरान श्री कपिलदेव काछी की पारिवारिक समस्या के कारण श्री कपिलदेव काछी की रिमाण्ड ड्यूटी नहीं लगाई गई है।

3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी, /चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली उपरोक्त दर्शित तिथियों में दोपहर के समय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।

4. उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान

(4)

पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिए सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति मय हस्ताक्षर लिखित आवेदन एक दिवस पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को सूचित कर अपनी पूर्व निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तित करा सकते हैं।

5. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
6. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गई रिमाण्ड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।
7. यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्र अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।
8. रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है।

नोट:— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार जिला स्थापना सीधी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय में पदस्थ कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी

वास्ते/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक: / 2025

सीधी, दिनांक-28.08.2025

प्रतिलिपि :- (ई-मेल/व्हाट्सप/व्हाट्सप ग्रुप)

1. प्रस्तुतकार-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी (म.प्र.)
2. श्री सोनू जैन/श्री कपिल देव काछी/सुश्री सरिता चौधरी/श्री मृदुल लटौरिया/श्री अभिषेक साहू/श्री लालता सिंह/सुश्री विजया विश्वकर्मा/श्री राहुल त्रिपाठी/श्री परमानंद सनोड़िया/श्री अरहम खान/सुश्री शिवांगी सिंह परिहार/सुश्री रुचि परते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी/चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला सीधी म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित थाना प्रभारियों को कृपया सूचित करायें।
4. प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग जिला सीधी म.प्र.

(5)

5. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी म.प्र.
6. कार्यालय अनुभाग जिला न्यायालय सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. डी.पी.ओ. सीधी, जिला सीधी, (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी / चुरहट / रामपुरनैकिन / मझौली / सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सिस्टम आफिसर / सहायक सिस्टम ऑफीसर सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) की ओर ई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला नाजिर, जिला सीधी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी
वास्ते / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)

